भाग ४ (ग)

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2025

क्रमांक – 423/मप्रविनिआ/2025 – विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 सहपठित धारा 61(ज) तथा धारा 86(1)(ङ) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन}, (पुनरीक्षण द्वितीय), विनियम, 2021 {क्रमांक आरजी–33(II), वर्ष 2021} जिन्हें एतद् पश्चात् **"मूल विनियम"** निर्दिष्ट किया गया है, में संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत सह–उत्पादन तथा उत्पादन}, (पुनरीक्षण–द्वितीय), विनियम, 2021 में चतुर्थ संशोधन {आरजी–33(II)(iv), वर्ष 2025}

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ**

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत सह–उत्पादन तथा उत्पादन}, (पुनरीक्षण–द्वितीय)(चतुर्थ संशोधन), विनियम, 2021 {एआरजी–33(II)(iv), वर्ष 2025}"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश के "राजपत्र" में इनकी प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे।

1.3 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

2. **मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन**

2.1 मूल विनियमों के विनियम 2 (ग्यारह) को विलोपित किया जाए।

2.2 मूल विनियमों के विनियम 2 (चौदह), 2 (बीस) तथा 2 (तेईस) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :–

"2(चौदह) 'निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता (Open Access Consumer)' से अभिप्रेत है एक ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा या तो केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के विनियम 'CERC (Connectivity and General Networks Access to the Inter-State Transmission System) Regulations, 2022' (समय–समय पर यथासंशोधित तथा पुनरीक्षित) के अधीन अथवा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें), (पुनरीक्षण– प्रथम), विनियम 2021 (समय–समय पर यथासंशोधित

तथा पुनरीक्षित) के अधीन निर्बाध (खुली) पहुंच (open access) का लाभ प्राप्त किया गया है तथा इनमें लघु–अवधि पारेषण/वितरण निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता भी सम्मिलित होंगे जैसा कि इन्हें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग/ मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट अन्य कतिपय विनियमों में परिभाषित किया गया है ;''

"2(बीस) **'नवीकरणीय क्रय आबन्धन (Renewable Purchase Obligation-RPO)'** से अभिप्रेत है समस्त आबन्धित इकाइयों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादकों से अधिप्राप्त की जाने वाली विद्युत की न्यूनतम मात्रा जिसमें विद्युत के नवीकरणीय स्त्रोतों से सह–उत्पादन भी सम्मिलित है जिसे इन विनियमों के विनियम 3 के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान कुल विद्युत ऊर्जा की अधिप्राप्ति के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है; "

"2(तेईस) **'राज्य अभिकरण (State Agency)'** से अभिप्रेत कतिपय राज्य अभिकरण से है जिसे आयोग द्वारा एक आदेश के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को अन्तर्राज्यिक पारेषण प्रणाली के साथ संयोजित योग्य/पात्र इकाइयों (eligible entities) के प्रमाणीकरण (accreditation) हेतु तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्रों (renewable energy certificates) की स्वीकृति तथा अनुशंसा हेतु नामोद्दिष्ट करने हेतु अभिकरण के रूप में अधिकृत किया हो;"

2.3 विनियम 2 (तेईस) के पश्चात् तथा विनियम 2 (चौबीस) से पूर्व एक नवीन विनियम 2 **(तेईस)(क)** अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"2 (तेईस)(क) **'राज्य नवीकरणीय क्रय आबन्धन अनुश्रवण अभिकरण (State RPO Agency/Agencies)** से अभिप्रेत है राज्य नवीकरणीय क्रय आबन्धन अनुश्रवण अभिकरण जिसे/जिन्हें आयोग द्वारा आदेश(ों) के द्वारा उसके/उनके क्षेत्राधिकार (jurisdiction) के अन्तर्गत प्रत्येक आबन्धित इकाई (Obligated entity) के नवीकरणीय क्रय आबन्धन अनुपालन के अनुश्रवण, सत्यापन तथा प्रतिवेदन हेतु समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) के रूप में कार्य निष्पादन हेतु नामोद्दिष्ट किया जाएगा ;"

2.4 विनियम 2(बीस) के पश्चात् तथा विनियम 2 (इक्कीस) के पूर्व एक नवीन विनियम यथा, 2 बीस(क) अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"बीस(क) **'नवीकरणीय क्रय आबन्धन पोर्टल (RPO Portal)'** से अभिप्रेत है आयोग द्वारा विकसित कतिपय वेब पोर्टल (web portal) जिसे आबन्धित इकाई

द्वारा, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों (Distribution Licensees) तथा भारतीय रेल (Indian Railways) को सम्मिलित करते हुए, नवीकरणीय क्रय आबन्धन अनुपालन (RPO Compliance) को प्रतिवेदित करने हेतु उपयोग में लाया जाएगा ;"

3. मूल विनियमों के विनियम 3 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 3.1.9 के स्थान पर निम्न विनियम 3.1.9 स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"3.1.9 किसी विशिष्ट वर्ष के दौरान 'अन्य नवीकरणीय क्रय आबन्धन (Other RPO)' श्रेणी की प्राप्ति हेतु अवशेष किसी कमी की पूर्ति दिनांक 31 मार्च, 2022 के पश्चात् क्रियाशील की गई पवन विद्युत परियोजनाओं (WPPs) से उक्त वर्ष हेतु वैकल्पिक रूप से 'पवन नवीकरणीय क्रय आबन्धन (Wind RPO)' के पश्चात् क्रय की गई अतिरिक्त ऊर्जा तथा 31 मार्च 2022 के पश्चात क्रियाशील की गई पवन विद्युत परियोजनाओं (WPPs) से 7 प्रतिशत अधिक अधिप्राप्त की गई पवन ऊर्जा से या फिर दिनांक 8 मार्च 2019 के पश्चात् 'जल–विद्युत क्रय आबन्धन' से परे क्रियाशील की गई पात्र जल विद्युत परियोजनाओं से {उद्वहन संग्रहण परियोजनाओं (PSPs) तथा लघु जल–विद्युत परियोजनाओं (SHPs) को सम्मिलित करते हुए} उपभोग की गई उक्त वर्ष हेतु जल विद्युत क्रय आबंध (HPO)' से आधिक्य ऊर्जा द्वारा या फिर आंशिक रूप से दोनों के माध्यम से की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, किसी विशिष्ट वर्ष में 'पवन नवीकरणीय क्रय आबन्धन (Wind PRO)' की प्राप्ति हेतु किसी कमी की पूर्ति जल–विद्युत संयंत्रों से उपभोग की गई आधिक्य ऊर्जा के माध्यम से जो उक्त वर्ष हेतु 'जल–विद्युत क्रय आबन्धन (HPO)' से अधिक हो, की जा सकेगी तथा यह प्रक्रिया विलोमतः भी लागू होगी। इसके अतिरिक्त, किसी विशिष्ट वर्ष में अन्य नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी के अधीन किसी आधिक्य ऊर्जा की खपत को पवन नवीकरणीय ऊर्जा (Wind renewable energy) अथवा जल–विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा (Hydro renewable energy) के नवीकरणीय क्रय आबन्धन अनुपालन (RPO Compliance) में किसी कमी (Shortfall) की पूर्ति हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।"

4. मूल विनियमों के विनियम 5 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 5.3 के स्थान पर निम्न विनियम 5.3 स्थापित किया जाए, अर्थातः—

"5.3 समय–समय पर जारी किये गये विद्युत–दर आदेशानुसार मापन मानदण्डों (measuring parameters) हेतु तथा राज्य प्रेषण केंद्र द्वारा ऊर्जा लेखांकन हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मापन व्यवस्था (Metering) की स्थापना विद्युत उत्पादन संयन्त्र स्थल (Generating Plant Site) पर समय–समय पर यथासंशोधित तथा पुनरीक्षित मप्रविनिआ सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2023, मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन– व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018, मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (पुनरीक्षण–तृतीय), 2024 तथा मध्यप्रदेश विद्युत वितरण संहिता (पुनरीक्षण–प्रथम) 2024 के अनुसार की जाएगी।"

5. मूल विनियमों के विनियम 7 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 7 (क) में शब्दों "मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता 2019" के स्थान पर शब्द "मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (पुनरीक्षण–तृतीय) 2024" स्थापित किये जाएं।

6. मूल विनियमों के विनियम 9 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 9.3 में शब्दों "मध्यप्रदेश विद्युत सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता 2015" तथा "मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, 2019 के स्थान पर क्रमशः शब्द "मध्यप्रदेश विद्युत सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2023" तथा "मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (पुनरीक्षण–तृतीय), 2024" स्थापित किये जाएं।

7. मूल विनियमों के विनियम 11 में संशोधन

7.1 मूल विनियमों के विनियम 11.1(क)(तीन) तथा 11.1(ख)(दो) में शब्दों "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) विनियम 2015" के स्थान पर शब्द "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां एवं संबंधित मामलें) विनियम (पुनरीक्षण–द्वितीय), 2024" स्थापित किये जाएं।

7.2 मूल विनियमों के विनियम 11 के उप–खण्ड 11.2(क) में शब्दों "मध्यप्रदेश विद्युत सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2015" एवं "मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, 2019" के स्थान पर शब्द क्रमशः "मध्यप्रदेश विद्युत सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2023" एवं "मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (पुनरीक्षण–तृतीय), 2024" स्थापित किये जाएं।

8. मूल विनियमों के विनियम 12 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 12.4 के पश्चात् क्रमशः निम्न विनियम अर्थात् 12.5, 12.6 तथा 12.7 निम्नानुसार स्थापित किये जाएं, अर्थात् :–

"12.5 विनियम 2 (तेरह) में उल्लेखित समस्त आबंधित इकाइयां (obligated entities) तथा विनियम 14 में उल्लेखित राज्य नवीकरणीय क्रय आबन्धन अनुश्रवण

अभिकरणों (State RPO monitoring agencies) द्वारा इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से एक माह के भीतर आयोग के नवीकरणीय क्रय आबन्धन वेब पोर्टल (RPO web Portal) पर स्वयं को पंजीकृत कराना होगा तथा प्रतिमाह नवीकरणीय क्रय आबन्धन अनुपालन (RPO Compliance) को प्रतिवेदित किया जाना प्रारंभ करना होगा। आबंधित इकाईयों द्वारा नवीकरणीय क्रय आबन्धन अनुपालन (RPO Compliance) को प्रतिवेदित करने तथा राज्य नवीकरणीय क्रय आबन्धन अनुश्रवण अभिकरणों (State Monitoring Agencies) द्वारा इनके अनुश्रवण तथा सत्यापन बाबत विज्ञप्ति (Protocol) की अधिसूचना आयोग द्वारा पृथक से जारी की जाएगी।

12.6 प्रत्येक आबंधित इकाई (obligated entity) द्वारा नवीकरणीय क्रय आबन्धन अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन प्रति वर्ष राज्य नवीकरणीय आबन्धन अनुश्रवण अभिकरणों (State RPO Monitoring Agencies) को 15 मई तक प्रस्तुत करना होगा। प्रतिवेदन के अन्तर्गत प्रत्येक आबंधित इकाई के 'RPO' अनुपालन की अद्यतन स्थिति को मय समर्थन अभिलेखों (supporting documents) के प्रस्तुत करना होगा।

12.7 राज्य नवीकरणीय क्रय आबन्धन अनुश्रवण अभिकरणों (State RPO Monitoring Agencies) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों का आयोग द्वारा परीक्षण किया जाएगा तथा उसके द्वारा पृथक आदेशों के माध्यम से, या फिर एक सामान्य आदेश (common order) के माध्यम से, जैसा कि उचित समझा जाए, प्रत्येक आबंधित इकाई (obligated entity) के नवीकरणीय क्रय आबन्धन अनुपालन अद्यतन स्थिति (RPO Compliance Status) की घोषणा (declaration) को पारित किया जाएगा।"

9. मूल विनियमों के विनियम 13 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 13.1 तथा 13.2 में शब्दों "Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issue of Renewal Energy Certificate for Renewal Energy Generation) Regulation 2010" के स्थान पर शब्द "समय–समय पर यथासंशोधित विनियम CERC (Terms and Conditions for recogniation and issuance of Renewal Energy Certificate for Renewal Energy Generation) Regulations 2022" स्थापित किये जाएं।

10. मूल विनियमों के विनियम 14 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 14 के स्थान पर निम्न विनियम 14 स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"14(क) राज्य अभिकरण (State Agency)

14.1 राज्य अभिकरण आयोग के दिशा–निर्देशानुसार कार्य करेगा तथा केन्द्रीय अभिकरण (Central Agency) के समय–समय पर यथासंशोधित ऊर्जा प्रमाण–पत्र विनियमों अर्थात् "CERC (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewal Energy Certificate for Renewal Energy Generation) Regulation 2022" के अधीन जारी की गई प्रक्रियाओं तथा नियमों से सुसंगत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

14.2 आयोग, किसी भी समय, किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी अन्य इकाई को राज्य अभिकरण (State Agency) के रूप में कार्य निष्पादन हेतु नामित कर सकेगा।

(ख) राज्य नवीकरणीय क्रय आबन्धन अनुश्रवण अभिकरण (State RPO Monitoring Agency)

14.3 राज्य नवीकरणीय क्रय आबन्धन अनुश्रवण अभिकरण/नवीकरणीय क्रय आबन्धन अनुश्रवण अभिकरण उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कार्यरत आबंधित इकाईयों (obligated entities) संबंधी नवीकरणीय क्रय आबन्धन अनुपालन (RPO Compliance) के अनुश्रवण तथा प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण हेतु उत्तरदायी होंगे तथा आयोग द्वारा जारी के दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य निष्पादन करेंगे जैसा कि इसे समय–समय पर जारी अलग आदेशों के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाए। इस प्रकार नामित राज्य नवीकरणीय क्रय आबंध अनुश्रवण अभिकरण/नवीकरणीय क्रय आबंध अनुश्रवण अभिकरण को नवीकरणीय क्रय आबंध पोर्टल (RPO Portal) की सीमित पहुँच उपलब्ध कराई जावेगी ताकि वे आबंधित इकाईयों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा/आरईसी के क्रय से सम्बंधित प्रस्तुत की गई जानकारी को प्राप्त कर सकें।

14.4 आयोग किसी भी समय किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी अन्य इकाई को राज्य नवीकरणीय क्रय आबन्धन अनुश्रवण अभिकरण/अभिकरणों के रूप में कार्य निष्पादन हेतु नामित कर सकेगा।

11. मूल विनियमों के विनियम 15 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 15 के स्थान पर निम्नानुसार विनियम 15 स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"15 चूक का प्रभाव (Effect of Default)

15.1 ऐसी दशा में जबकि आबंधित इकाइयां किसी वित्तीय वर्ष के दौरान इन विनियमों के अधीन प्रावधानित पावर एक्सचेंज से नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से ऊर्जा क्रय करने के आबन्धन के अधिदेश की पूर्ति न करती हों तथा पावर एक्सचेंज से प्रमाण–पत्रों का क्रय न करती हों, तो

(एक) आयोग आबन्धित इकाई को एक पृथक निधि (seperate fund) में कतिपय राशि जमा करने बाबत निर्दिष्ट कर सकेगा जिसका संधारण ऐसी आबन्धित इकाई द्वारा किया जाएगा जिसका निर्धारण आयोग द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमाण–पत्रों (RECs) को उक्त सीमा तक नवीकरणीय क्रय आबन्धन में यूनिटों की कमी तथा पिछले 6 माह के दौरान पावर एक्सचेंजों पर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्रों (RECs) के औसत मूल्य के आधार पर किया जा सकेगा, तथा जिसका उपयोग जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया ज़ावेगा, मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्रों के क्रय हेतु तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के आधार पर विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत ऊर्जा की निकासी हेतु पारेषण अधोसंरचना के विकास हेतु किया जाएगा यदि वांछित नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्रों के विक्रय पश्चात् उपयोग में न लाई गई राशि पृथक निधि में कायम रहती हो :

परन्तु यह कि आबंधित इकाइयों को उपरोक्त खण्ड(एक) के अनुसरण में, आयोग की पूर्व अनुमति के बगैर सृजित निधि के उपयोग हेतु प्राधिकृत नहीं किया जाएगा ;

(दो) आबन्धनों को परिपूर्ण किये जाने संबंधी कमी की सीमा के अधीन आयोग **राज्य अभिकरण** के किसी अधिकारी को पावर एक्सचेंज से निधि की राशि में वांछित प्रमाण–पत्रों की संख्या की अधिप्राप्ति हेतु प्राधिकृत कर सकेगा ;

(तीन) आयोग समन्वयन अभिकरण (nodal agency) को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2021 के उपबन्धों के अधीन, आबन्धित इकाई की हरित ऊर्जा को छोड़कर, ऊर्जा की राज्यान्तरिक लघु अवधि निर्बाध (खुली) पहुंच के नियन्त्रण हेतु लघु अवधि निर्बाध (खुली) पहुंच (short term open access) हेतु निर्देशित कर सकेगा।

15.2 यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा निर्देशित राशि को संसूचित तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करने में चूक करता हो तो इसे अनुज्ञिप्त की शर्त का उल्लंघन माना जाएगा।

15.3 इसके अतिरिक्त, जहां कोई व्यक्ति जिसके द्वारा, तथापि, इन विनियमों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है, नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों अथवा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्रों के माध्यम से वांछित ऊर्जा का प्रतिशत क्रय करने में चूक करता हो तो

उसे अधिनियम की धारा 142 के अधीन अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा, जैसा कि आयोग द्वारा इस बारे में निर्णय लिया जाए।

15.4 नवीकरणीय ऊर्जा अथवा प्रमाण–पत्रों की अनुपलब्धता के कारण यदि नवीकरणीय क्रय आबन्धन के अनुपालन में यथार्थ कठिनाई उत्पन्न हो तो आबंधित इकाई (obligate entity) आयोग से अनुपालन आवश्यकता को आगामी वर्ष तक बढ़ाये जाने बाबत सम्पर्क कर सकेगी तथा आयोग प्रकरण–दर–प्रकरण आधार पर मामले में यथोचित दृष्टिकोण अपनाएगा :

परन्तु यह कि अनुपालन आवश्यकता (compliance requirement) को आगामी वर्ष हेतु बढ़ाये जाने बाबत अनुज्ञेय करते समय आयोग यथोचित कर्मनिष्ठतापूर्वक कार्यवाही करेगा, संबंधित आबंधित इकाई को अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा अधिप्राप्ति करने या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्रों (RECs) की समान राशि की व्यवस्था करने हेतु भी निर्देश दे सकेगा जिसकी गणना नवीकरणीय क्रय आबन्धन (RPO) में किसी कमी (shortfall) बाबत उसके मौद्रिक मूल्य (monetary value) के अनुसार विलंब भुगतान अधिभार (Late Payment Surcharge-LPS) के आधार दर के अनुसार की जाएगी जैसा कि इसे भारत सरकार, विद्युत मन्त्रालय द्वारा विलम्ब भुगतान अधिभार नियम में अधिसूचित किया गया है तथा जैसा कि वह नवीकरणीय क्रय आबन्धन (RPO) हेतु वर्ष के दौरान प्रयोज्य हो जिस हेतु आबन्धित इकाई द्वारा नवीकरणीय क्रय आबन्धन का अनुपालन किया जाना अपेक्षित था :

परन्तु आगे यह और कि जब आयोग द्वारा नवीकरणीय क्रय आबन्धन को आगे बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की गई हो तो इस विनियम के खण्ड 15.1(तीन) के उपबन्ध प्रकरण में प्रयोज्य न होंगे।"

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्त पाण्डा, सचिव.